CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

Date: 18 अप्रैल 2023

विदेशी व्यापार नीति में आयात व निर्यात कर

संदर्भ-भारत की नई विदेश व्यापार नीति के तहत वैश्विक ई- कॉमर्स से खरीदे गए उपहारों सहित विदेशों से खरीदे गए अन्य उपहारों के प्रावधानों को कड़ा कर दिया गया है। राखी व जीवन रक्षक दवाओं से संबंधित आयात को शुल्क मुक्त किया जा सकता है। इससे पूर्व 2015 की विदेश नीति जिसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था के अनुसार उपहारों में कुछ छूट दी गई थी।

नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार उपहारों पर सीमा शुल्क को लागू किया गया है जैसे-
- ई कॉमर्स पोर्टल से संबधित
- डाक या कुरीयर आधारित उपहार।

किंतु कुछ सामानों पर सीमाशुल्क मुक्त रखा गया है। जैसे-
- राखी (उपहार के रूप में राखी पर तभी शून्य सीमा शुल्क लगेगा जब वस्तु की मूल्य राशि ₹100 या उससे कम है।)
- जीवन रक्षक दवाएं।

2015 की विदेश व्यापार नीति

ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (डीसीएस) भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के तहत पेश किया गया एक निर्यात प्रोत्साहन लाभ है। अन्य निर्यात लाभों की तरह, इसका उद्देश्य निर्यातकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा दें। डीसीएस का उपयोग एक निर्यातक द्वारा अपनी कर देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सुरक्षा शुल्क, संक्रमणकालीन विशिष्ट सुरक्षा शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क से उत्पन्न होने वाली कर देनदारियों के लिए किया जा सकता है।

मेक इन इण्डिया –विदेश व्यापार नीति निर्यात दायित्वों (ईओ) को 25% तक कम करके ईपीसीजी योजना के तहत स्वदेशी निर्माताओं से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित करने के उपायों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' का समर्थन करती है।
2015-20 की नीति में दो योजनाएं निहित थी-
- **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (MEIS)** निर्दिष्ट बाजारों में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए है।
- **भारत से सेवा निर्यात योजना' (SEIS)** अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए है। ये पहले से मौजूद कई योजनाओं को प्रतिस्थापित करते हैं,
- प्रत्येक योजना में पात्रता और स्क्रिप के उपयोग के लिए अलग-अलग शर्तें हैं।

नीति विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये के प्रयोग को बढ़ावा देना, SCOMET के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित करना। अतः 2015 की नीति में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए।
इसके साथ ही विदेश व्यापार वर्गीकरण मानदण्डों के तहत उपहारों का व्यापार आयात मुक्त था।

आयात कर- किसी देश में वस्तुओं व सेवाओं के आयात पर देश की सीमा में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा शुल्क वसूल किया जाता है। जिसे आयात कर कहा जाता है। आयात कर वस्तु के मूल्य का 10% होता है। इसके साथ ही GST भी IGST भी संयोजित किया जाता है।

भारत में आयात कर के उद्देश्य-
- उद्योग – भारत में आयात कर, भारतीय उद्योगों को विदेशी सस्ते सामानों से बचाने के लिए लगाया जाता है। पिछले कुछ समय से भारतीय व्यापार में आयात बढ़ा है जिसे सीमित करने के लिए विदेश व्यापार नीति में आयात के लिए कठोंर व्यवस्था की गई है।
- दुष्प्रभावी वस्तुओं पर रोक- नशीले पदार्थों के मूल्य में आयात कर के माध्यम से वृद्धि करके इसके सामान्य प्रयोग पर रोक लगायी जा सकती है।

निर्यात कर- किसी देश में जब वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमता, देश की आपूर्ति से अधिक हो तो देश उन वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करता है। जिससे वह अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए देश वस्तुओं पर निर्यात कर निर्धारित करता है।

उपहारों के आयात अथवा निर्यात

मुक्त निर्यात के प्रभाव- भारतीय इतिहास में मुक्त निर्यात के कारण अंग्रेजों ने उपहारों के रूप में भारत का अत्यधिक धन निष्कासन किया था। जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन का बहिर्गमन देश की सबसे बड़ी बुराई है जो देश की निर्धनता का कारण भी है।

मुक्त आयात के प्रभाव – मुक्त आयात दो देशों की मांग के आधार पर उसके प्रभावों को सुनिश्चित करती है। जैसे-

- कई नशीली पदार्थों का देश में आगमन हो सकता है जो देश को कमजोर बनाने में सहायक हो सकता है।
- देश के उद्योगों को वैश्विक पटल पर स्थापित करने में मुक्त आयात बाधा बन सकता है। इससे वह विदेशों की वस्तुओं को प्रोत्साहित कर रहा होता है।
- इसके साथ जीवन रक्षक दवाओं का आयात मुक्त होना देश में स्वास्थ्य सेवाओं को वहनीय बनाने में भी सहायक हो सकता है। दवाओं के मुक्त आयात के कारण देश में विदेशी दवाओं की आपूर्ति हो सकती है किंतु यह स्वदेशी दवाओं के निर्माण को निरुत्साहित कर सकता है।

आगे की राह-

- नीति में जीवन रक्षक दवाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे अन्य दवाओं का भी आयात निःशुल्क हो लकता है, जो भारत की दवाओं पर प्रभाव डाल सकता है। अतः जीवन रक्षक दवा को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

स्रोत
THE HINDU

Gunjan Joshi

नमामि गंगे, नदी संरक्षण अभियान

संदर्भ- हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने **यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम** की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण व नदी बहाली के बारे में जागरुकता के लिए 49 विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता किया गया।

यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम के उद्देश्य- विश्वविद्यालयों के छात्रों को एक स्थान विशेष चुनने के लिए प्रेरित किया गया जिसकी वे देखभाल कर सकें। छात्रों को देश के जलमार्गों को जीवित रखने के लिए सार्वजनिक आंदोलन का निर्माण करना। इस कार्यक्रम की थीम ***इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, रिजुविनेटिंग रिवर*** रखी गई है। कार्यक्रम की थीम ***नमामि गंगे मिशन*** से प्रेरित होकर रखी गई है।

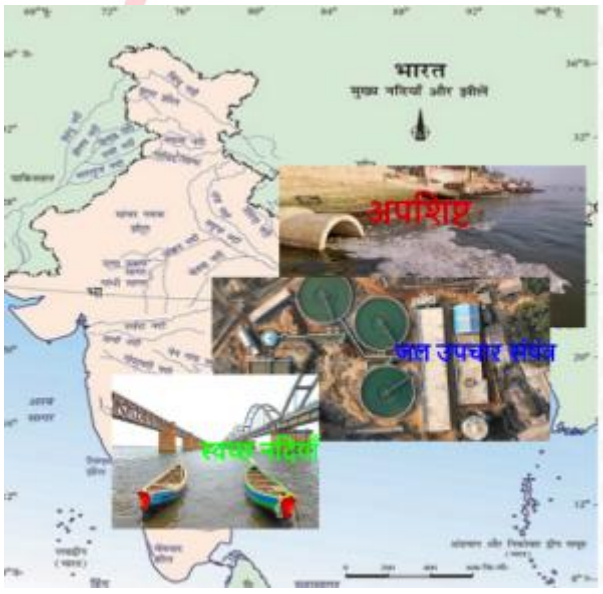

कार्यक्रम के लक्ष्य

- सक्रिय जनभागीदारी
- ज्ञान आधारित अल्पकालिक कार्यक्रमों के विकास,
- प्रशिक्षण सत्रों और जल क्षेत्र पर अतिरिक्त अध्ययन को प्रोत्साहन।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

गंगा के साथ भारत की नदियों में प्रदूषण के कारक

देश की प्रमुख नदियाँ, जो कई शहरों को अपने तट पर बसाए हुए हैं, वर्षों से प्रदूषित हैं। गंगा नदी देश की 40% जनसंख्या को पानी प्रदान करती है, जो 11 राज्यों का प्राण कही जा सकती है। गंगा के साथ भारत की सभी नदियों में प्रदूषण के निम्नलिखित कारक हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

अशोधित सीवेज – भारत में अशोधित सीवेज की समस्याएं आज भी बनी हुई है। शहरो व महानगरों में अशोधित सीवेज को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित हैं।

औद्योगिक निक्षेप – भारत में उद्योगों के निक्षेप जैसे रबर, प्लास्टिक, लुगदी, चीनी आदि युक्त कचरा नदियों में प्रवाहित किया जाता है। केवल गंगा में प्रवाहित कुल अपशिष्ट में औद्योगिक निक्षेप का योगदान 20% का है। भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रही उद्योगों की संख्या नदियों को और अधिक प्रदूषित करने का कारक हो सकती है।

कृषि व पशुधन अपशिष्ट – कृषि में प्रयुक्त विभिन्न कीटनाशकों व उर्वरकों का प्रयोग अपशिष्ट के रूप में पानी के साथ नदियों में प्रवाहित हो जाता है। जो नदियों को प्रदूषित करने का कार्य करता है। इसके साथ पशुपालकों द्वारा पशुओं की मृत्यु हो जाने पर उन्हें नदी में प्रवाहित करने के प्रचलन के कारण भी नदी प्रदूषित हो जाती है।

नमामि गंगे मिशन

- नमामि गंगे मिशन, गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक एकीकृ मिशन है। जिसे 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरु किया था।
- इस कार्यक्रम के तहत नदी में प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, राष्ट्रीय संरक्षण व नदी के कायाकल्प को निर्देशित किया गया था।
- यह मिशन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG और संबंधित राज्य संगठनों व राज्य प्रबंधन कार्यांवयन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को एक सोसायटी के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 2011 में पंजीकृत किया गया था। यह संगठन राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन अधिनियनम NGBRA के अंतर्गत गठित किया गया था। इसके अंतर्गत 7 अक्टूबर 2016 को गंगा राष्ट्रीय पुनरुद्धार संरक्षण व प्रबंधन हेतु गंगा परिषद के गठन के साथ NGBRA का विघटन हो गया।

- राष्ट्रीय गंगा परिषद
- कृतक बल (ईटीएफ)
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
- राज्य गंगा समितियाँ
- राज्यों में गंगा समितियाँ
- गंगा व उसकी सहायक नदियों के विशिष्ट जिले में गंगा समितियाँ

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कार्यक्रम- गंगा की सफाई व संरक्षण की पहली परियोजना है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में गंगा की सफाई व संरक्षण के लिए NGBRA संस्थाओं में क्षमता निर्माण।
- गंगा के प्रत्यक्ष प्रदूषण वाले स्रोतों को कम करना।
- गंगा में प्रदूषित जल के विसर्जन पर प्रतिबंध।

नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ-

सीवरेज उपचार अवसंरचना- सीवरेज उपचार संयंत्रों द्वारा जल को संशोधित कर उसके पुनः प्रयोग पर जोर देगा। इससे जल संरक्षण व नदियों का प्रदूषण से बचाव दोनों हो सकेगा।

रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट- नदियों के तट (जिन्हें घाट कहा जाता है) केवल नदियों के विकास के लिए ही विकसित किए जा सकते हैं, तथा नदियों के तटों पर शहरीकरण को कम किया जा सकता है।

नदी सतह की सफाई- वर्तमान में नदी सतह की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर संयंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

जैव विविधता – जैव विविधता के संरक्षण के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी की सुरक्षा पर जोर दिया जाना है जैसे- गोल्डन महासीर, डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए, ऊदबिलाव जैसे जीवों का संरक्षण।

वनीकरण- नदियों के तटों को कटाव से सुरक्षित रखने के लिए नदियों के तटों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है।

जनजागरण – जनजागृति की कमी समस्या का एक कारण हो सकती है, अतः नदियों में प्रदूषण का कारण बन रहे लोगों का चुनाव कर उनकी मन-श्थइत के अनुकूल जनजागरण किया जा सकता है।

औद्योगिक प्रवाह निगरानी- औद्योगिक अपशिष्ट को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ उद्योगपतियों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए कि वे औद्योगिक निक्षेप का प्रबंधन के लिए प्रयास करे अथवा सरकार के प्रयासों को लागू करे।

गंगा ग्राम- गंगा के तट पर स्थित ग्रामों को विकसित कर ओडीएफ बनाया जाएगा ताकि नदियों में उनके द्वारा सीवेज न हो, इसके साथ ही इन गांवों में अथवा गंगा नदी के किनारे कचरे का प्रबंधन, शमशान घाट का निर्माण आदि प्रबंधन किए जाएंगे।

स्रोत

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1916174
https://nmcg.nic.in/csr/csrgangagram.aspx
https://nmcg.nic.in/hi/about_nmcg.aspx
https://www.india.gov.in/spotlight/namami-gange-programme#tab=tab-1

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com